



प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2026

विषय:-जनपद-मिर्जापुर में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित वित्तीय स्वीकृति (प्रथम किश्त) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1629/दि0ज0स0वि0/निर्माण/बचपन-मिर्जापुर/2026-27 दिनांक 04 अगस्त, 2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद-मिर्जापुर में बचपन डे केयर सेन्टर के भवन निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित संशोधित आगणन लागत रू0 345.51 लाख (रू0 तीन करोड़ पैंतालीस लाख इक्यावन हजार मात्र) के सापेक्ष मूल्यांकित समिति द्वारा संस्तुति लागत रू0 328.42 लाख (रू0 तीन करोड़ अठ्ठाइस लाख बयालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित इस कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किश्तों में व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(iii) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (v) उक्त प्रस्तावित कार्य से संबंधित कोई पुनरीक्षण भविष्य में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (vi) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (vii) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
- (viii) नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य कराया जायेगा। कार्यवृत्त दिनांक 07.08.2026 में उल्लिखित शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।
- (ix) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कर कराया जायेगा।
- (x) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (xi) आगणन में उल्लिखित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत माना गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे:-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (xii) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में न ही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (xiii) प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता एवं नियमानुसार भुगतान किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
- (xiv) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
- (xv) यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (xvi) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(xvii) प्रायोजना लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xviii) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता नियमित रूप से परीक्षित कर उसकी रिपोर्ट एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये शासन को उपलब्ध कराने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० का होगा। कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xix) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये की जा रही, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था का होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले आहरण एवं व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(xx) प्रायोजना का गठन डी०एस०आर० वर्ष 2023 एवं डी०एस०आर० ई & एम-2025 तथा वर्तमान बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार लागत का परीक्षण मूल्यांकित समिति द्वारा किया गया है।

(xxi) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxii) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxiii) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxiv) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxv) प्रश्नगत स्वीकृति मानक/तथ्यों के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक/तथ्यों के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था का होगा। (xxvi) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-54/2022/190/65-2-2022/65-2/414/2020 दिनांक 03 जून, 2022 के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य सुनिश्चित कराया जाये।

(xxvii) प्रायोजनान्तर्गत मिट्टी भराई की लागत जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत नहीं है। व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.08.2025 को मिट्टी भराई से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देशों के क्रम में मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुमन्य नहीं की गयी है। उक्त मद में प्रस्तावित लागत जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के उपरान्त देय होगी।

(xxviii) प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन के लिये सभी भवनों में पहुंच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित वातावरण बनाये जाने के लिये निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2021" का अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुये 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(xxx) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेंटेज चार्ज देय नहीं होगा।

2. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-18-बचपन डे केयर सेंटर्स का भवन निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-4-103-X-2026-27 दिनांक: 20.08.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-मूल्यांकित लागत का विवरण।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ/अधिशाली अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, निर्माण प्रखण्ड-मिर्जापुर।
5. उपनिदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मिर्जापुर।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग-1।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।